State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Email : mpseiaa@gmail.com
Tel.: 0755 - 2466970, 2466859
Fax : 0755 - 2462136

सत्यमेव जयते

No.: 2134 /SEIAA/ 22
Date : 25/11/22

प्रति,

मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राईजेज़,
पार्टनर श्री आनंद ताम्रकार,
निवासी – 9–ए पैरामांउट विला,नियर अंशल, श्यामला हिल्स,
जिला भोपाल (म.प्र.)

विषयः– **प्रकरण क्र. 9342/2022** – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राईजेज़, पार्टनर श्री आनंद ताम्रकार, निवासी – 9–ए पैरामांउट विला, नियर अंशल, श्यामला हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.0 हेक्टेयर, खसरा 39, ग्राम मवईघाट–2, तहसील गौरीहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन। **Prescribing of TOR**

संदर्भः–756वी SEIAA बैठक दिनांक 17.11.2022 एवं 601वी SEAC समिति बैठक दिनांक 19.10.2022

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 601वी बैठक दिनांक 19.10.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ अतिरिक्त ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

(ii) परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

(iv) मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

(v) खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(vii) पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

(xi) पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में रेत खदानों के कलस्टर Situation से संबंधित दिशा निर्देश प्रावधानित किये गये है जिसमें कलस्टर की दूरी, उसका एरिया, तथा अन्य प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है जिसका परिपालन आवश्यक है। अतः ईआईए में उक्त प्रावधानों का समुचित अध्ययन कर और यदि आवश्यक हो तो प्रावधानासुर आवश्यक संशोधन कर ईआईए में इसका विस्तृत उल्लेख किया जाये। SEIAA द्वारा पर्यावरण स्वीकृति देने पर विचार करते समय उक्त गाइडलाईन के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

(xii) रेत खनन् का प्रकरण होने के कारण यदि आवंटित खनन् क्षेत्र में एक्वेटिक फाउना का ब्रीडिंग क्षेत्र या अन्य कोई संवेदनशील क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।

(xiii) खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफलेक्टरो की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xiv) यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहॉ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाईन, 2020 (पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xv) यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप मे छोड कर एवं यदि कोई सहायक नदी/नाला आवंटित लीज क्षेत्र मे मिल रहा

हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा–निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे।

(xvi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन–पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) योजना ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।

(xvii) रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शें में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xviii) आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू–क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xix) आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xx) आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xxi) चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को–आर्डिनेट ईआई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को–आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को–आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संब धित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये।

(xxii) ग्रामसभा एन.ओ.सी. ऑनलाईन उपलब्ध नही ं है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xxiii) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A.II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्यनन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।

(xxiv) परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।

(xxv) वन अधिकारियो ं से चर्चा कर वन क्षेत्र मे ं वृक्षारोपण की संभावनाओं को भी तलाशा जाये, क्योंकि इस जिले की सभी खदाने ं एक ही परियोजना प्रस्तावक की हैं तथा कुल क्षेत्रफल 10.00 हे. से ज्यादा है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका एक संक्षिप्त विवरण जिसमें कुल लागत, प्रजातियों का विवरण (रख–रखाव के साथ) तथा वन क्षेत्र का नाम के साथ प्रस्तुत करें।

Documents to be submitted:

Environmental Consultant / PP

I. A certificate from the Consultant shall be submitted that they have been accredited by MoEF (GoI), as per OM.

II. The Project Proponent shall submit an undertaking as part of EIA report regarding data authenticity and owning the contents of EIA report as per OM dated 05/10/2011.

III. Final EIA report including public hearing and EMP various aspects should be submitted to the SEIAA.

IV. All information with supporting documents as prescribed by SEIAA in the O.M. No. 966 dated 27/01/2012 has to be furnished with the EIA report. Failing this the EIA report shall be returned to the PP.

V. Necessary clearance from the Competent Authority for drawl of requisite quantity of water for the project should be provided.